सीमाशुल्क अधिनियम

खंड 84—ऐसे आयातित माल पर, जो ऐसे आयातित माल के रूप आसानी से पहचान योग्य है, यदि माल दोषपूर्ण पाया जाता है या आयातकर्ता या माल के प्रदायकर्ता के बीच करार किए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाया जाता है, माल की सीमाशुल्क अधिकारी के समाधानप्रद रूप में पहचान की जाती है, माल को निर्यात किया गया है या आयातकर्ता ने माल के अपने हक आदि का परित्याग कर दिया है, घरेलू उपभोग के लिए निकासी के समय संदत्त आयात शुल्क के प्रतिदाय का उपबंध करने हेतु एक नई धारा 26क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाशुल्क प्रक्रिया सरलीकरण और सामंजस्य संबंधी अभिसमय के अधीन मानकों का अनुपालन किया जा सके । (पुनरीक्षित क्योटो अभिसमय)

खंड 85—धारा 28च का यह उपबंध करने की दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी को सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए इस उपांतरण के साथ प्राधिकृत कर सकेगी कि भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा का कोई ऐसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है उक्त प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करेगा और सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी आवेदन और कार्यवाहियां अधिसूचना की तारीख से ऐसे अधिसूचित

प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगी । उक्त धारा की उपधारा (2ख) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण उपधारा (2क) के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने पर निष्क्रिय रहेगी ।

खंड 86—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130 का 1 जुलाई, 2003 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि एक सौ अस्सी दिन की विहित अवधि के परे अपील फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है। अतः, यह इन न्यायालयों के समक्ष लंबित अपीलों और पुनर्विलोकनों सहित सभी अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा ।

खंड 87—सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130क का भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 1999 से संशोधन करने के लिए है जिससे कि, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (3) में यथाविहित सुसंगत अवधि के परे आवेदन या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है । यह संशोधन प्रक्रिया संबंधी प्रकृति का है । अतः, यह इन न्यायालयों के समक्ष लंबित, यथास्थिति, आवेदनों या अपीलों या पुनर्विलोकनों सहित सभी आवेदनों, अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा ।

खंड 88—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 137 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) केन्द्रीय सरकार को अपराधों के प्रशमन की रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ;

(ख) उस उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करके कतिपय परिस्थितियों में प्रशमन और कतिपय गंभीर अपराधों का भी प्रशमन किए जाने से अपवर्जित किया जा सके ।

खंड 89—प्रशमन की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 90—(i) माल के निर्यात और उसके संबंध में हक के परित्याग और उसे सीमाशुल्क अधिकारी के पास छोड़ने और समुचित अधिकारी की उपस्थिति में माल को नष्ट करने या उसे मूल्यविहीन बनाने की रीति;

(ii) शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन फाइल करने की रीति और उसका प्ररूप,

का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है।

खंड 91—सा0का0नि0 सं0 173, तारीख 17 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है जिसके द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की उपधारा (1) के अधीन सीमाशुल्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया था और उनकी अधिकारिता के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया गया था तथा ऐसे सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 9 मार्च, 2000 से की गई कार्यवाहियों को इस रूप में विधिमान्य किया गया था मानो ऊपर निर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उनकी अधिकारिता का क्षेत्र सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

खंड 92—अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 260 (अ), तारीख 1 मई, 2006 का भूतलक्षी रूप से 1 मई, 2006 से संशोधन करने के लिए है, जिससे,—

(क) ऐसी सामग्रियों के संबंध में, जो स्थानीय रूप से उपाप्त की गई हैं और निःशुल्क आयात प्राधिकार स्कीम के अधीन आयात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त की गई हैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन सुविधा या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जा सके ;

(ख) यह उपबंध किया जा सके कि निःशुल्क पुनः पूर्तियों का, जिनके संबंध में, ऊपर (क) में कथित सुविधाओं का उपभोग किया गया है निर्यातकर्ता के कारखाने में या उसके सहायक विनिर्माता के कारखाने में निर्यात बाध्यता के निर्वहन के पश्चात् भी शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा;

(ग) यह उपबंध किया जा सके कि आयातकर्ता उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त सीमाशुल्क के बराबर राशि का संदाय करेगा यदि—

(i) सामग्री को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राधिकार के संबंध में आयात किया जाता है ; या

(ii) आयातित माल को क्षेत्रीय प्राधिकारी की अनुमति से अंतरित किया जाता है,

किन्तु, 1 मई, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक जारी प्राधिकारों के संबंध में ऐसी रकम संदेय नहीं होगी ; और

(घ) उक्त अधिसूचनाओं के प्रयोजनों के लिए "शुल्क्य-माल" शब्दों को परिभाषित किया जा सके ।

सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 93—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के संग्रहण के लिए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत में उपाप्त या विनिर्मित की गई किसी वस्तु के लिए टैरिफ मूल्य नियत किया है, वहां उसी प्रकार की आयातित वस्तु के मूल्य को ऐसा टैरिफ मूल्य समझा जाएगा ।

खंड 94—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय आयातों पर विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधी उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, उद्ग्रहण न करने, कम उद्ग्रहण करने, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, देशी विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत धारा 8ग के अपराधों और शास्तियों के अवधारण की तारीख से संबंधित उपबंध भी हैं ।

खंड 95—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए है । यह कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावी की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए आवश्यक हो गया है।

खंड 96—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ग का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय आयातों पर विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधी उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, उद्ग्रहण न करने, कम उद्ग्रहण करने, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, देशी विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क की बाबत धारा 8ग के अपराधों और शास्तियों के अवधारण की तारीख से संबंधित उपबंध भी हैं ।

खंड 97—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए है । यह कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावी की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए आवश्यक हो गया है।

खंड 98—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के मशीनरी संबंधी उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, उद्ग्रहण न करने, कम उद्ग्रहण करने, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध भी हैं, सहायता प्राप्त वस्तुओं के रूप में प्रतिरोधी शुल्क की बाबत धारा 9 तक विस्तारित किए जा सकें ।

खंड 99—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों

को विधिमान्य करने के लिए है । यह कतिपय न्यायिक निर्णयों द्वारा प्रभावी की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए आवश्यक हो गया है।

खंड 100—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क का निम्नानुसार संशोधन करने के लिए है,—

(क) उपखंड (i) निर्यातक के लिए विनिर्दिष्ट बनाने की दृष्टि से उपधारा (1) में "किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा" शब्द अंतःस्थापित करने के लिए है ;

(ख) उपखंड (ii) धारा 6क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं के संबंध में पाटन के अंतर का अवधारण ऐसे निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए अभिलेख के आधार पर किया जाएगा ;

(ग) उपखंड (iii) सीमाशुल्क अधिनियम के तंत्र से संबंधित मशीनरी से संबंधित उपबंधों को, जिनके अंतर्गत शुल्क की दर के अवधारण, निर्धारण, अनुदग्रहण, कम उद्ग्रहण, प्रतिदाय, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध भी हैं, भूतलक्षी रूप से प्रतिपाटन शुल्क की बाबत धारा 9क तक विस्तारित करने के लिए है ।

खंड 101—सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश या ऐसे नियम या विनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश के अधीन 1 जनवरी, 1995 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय की गई कतिपय कार्रवाइयों को विधिमान्य करने के लिए है ।

खंड 102—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 11 के टिप्पण 2 के पैरा (क) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अध्याय 50 से 55 में या शीर्ष 5809 या 5902 में वर्गीकरणीय और दो या अधिक टैक्सटाइल्स सामग्रियों के मिश्रण के माल इस तरह वर्गीकृत किए जाने हैं मानो वे पूर्ण रूप से केवल एकल टैक्सटाइल सामग्री से बने हैं जो भार के अनुसार किसी अन्य एकल टैक्सटाइल सामग्री के ऊपर अधिमान रखती है । तथापि जब भार के अनुसार किसी अन्य एकल टैक्सटाइल सामग्री की अधिमानता नहीं है तब उस माल को ऐसे वर्गीकृत किया जाएगा मानो वह उस एकल ही टैक्सटाइल सामग्री से पूर्णतः बना है जो उस शीर्ष के अंतर्गत आती है जो उन शीर्षों में संख्या के क्रम में अंत में आता है जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

उत्पाद-शुल्क

खंड 103—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 9क का उसमें "और ऐसी रीति में" शब्दों और उसकी उपधारा (2) में परंतुक अंतःस्थापित करके उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे अपराधों के प्रशमन की रीति का और कतिपय ऐसे अपराधों और परिस्थितियों का उपबंध किया जा सके जिनमें अपराध प्रशमनीय नहीं होंगे ।

खंड 104—धारा 14क का, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, " चार्टर्ड अकाउन्टेंट" शब्दों को अंतःस्थापित करके और उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण जोड़कर संशोधन करने के लिए है, जिससे मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को इस धारा के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेंट या लागत लेखापाल को नामनिर्दिष्ट करने और "चार्टर्ड अकाउन्टेंट" पद को स्पष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 105—धारा 114कक का, उपधारा (1) और उपधारा (2) में, " चार्टर्ड अकाउन्टेंट" शब्दों को अंतःस्थापित करके और उक्त धारा में स्पष्टीकरण जोड़कर संशोधन करने के लिए है, जिससे मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को इस धारा के अधीन विशेष संपरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउन्टेंट या लागत लेखापाल को नामनिर्दिष्ट करने और "चार्टर्ड अकाउन्टेंट" पद को स्पष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 106—धारा 23क के खंड (घ) में "प्राधिकरण" की परिभाषा का संशोधन करते हुए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

खंड 107—केंद्रीय-उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ का 1 जुलाई, 2003 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि एक सौ अस्सी दिनों की विहित अवधि के परे अपील फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है । यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है । अतः, यह इन न्यायालयों के समक्ष लंबित अपीलों और पुनर्विलोकनों सहित सभी अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा ।

खंड 108—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज का 1 जुलाई, 1999 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है जिससे कि, यथास्थिति, उपधारा (1) और उपधारा (3) में यथाविहित सुसंगत अवधि के परे आवेदन या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन फाइल करने में विलंब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त करने वाला स्पष्ट उपबंध किया जा सके क्योंकि कतिपय निर्णयों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों को उक्त उपबंध के अधीन विलंब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है । यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है अतः, यह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों और पुनर्विलोकनों सहित सभी आवेदनों, अपीलों और पुनर्विलोकन याचिकाओं को लागू होगा ।

खंड 109—प्रशमन की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 110—अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 448(अ), तारीख 1 अगस्त, 1997, सा0का0नि0 503(अ), तारीख 30 अगस्त, 1997 और अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 130 (अ), तारीख 10 मार्च, 1998 का भूतलक्षी रूप से, अर्थात् संबंधित अधिसूचनाओं के जारी किए जाने की तारीख से संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तत्कालीन धारा 3क द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के कारण इन अधिसूचनाओं के अधीन उत्पाद-शुल्क की दरों को अधिसूचित करने की शक्ति थी ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

खंड 111—केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का, (i) अध्याय 8 के टिप्पण 1 को प्रतिस्थापित करके, जिससे उक्त अध्याय के अंतर्गत आने वाले ऐसी मदों को विनिर्दिष्ट किया जा सके, (ii) अध्याय 21 में टिप्पण 6 अंतःस्थापित करके, जिससे पान सुपारी में कतिपय घटकों को मिलाने या मिश्रित करने की प्रक्रिया को "विनिर्माण" की कोटि में आने की घोषणा की जा सके, और (iii) टैरिफ मद 5801 22 10 के सामने की प्रविष्टि का संशोधन करके, जिससे उसमें शुल्क की इकाई, मात्रा और दर उपबंधित की जा सके, संशोधन करने के लिए है ।

सेवा कर

खंड 112—कतिपय कराधेय सेवाओं को अंतःस्थापित करते हुए, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 का संशोधन करने और कतिपय विद्यमान उपबंधों का संशोधन करने के लिए भी है ।

उपखंड (1) उक्त धारा के खंड (19) का, "कारबार सहायक सेवा" को पुनः परिभाषित करके, संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केवल उन्हीं प्रसंस्करणों को, जिनके परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क्य माल का विनिर्माण होता है, "कारबार सहायक सेवा" की परिधि से बाहर किया जाएगा ।

उपखंड (2) उप-दलालों को कराधेय सेवा की परिधि से बाहर करने की दृष्टि से उक्त धारा के खंड (101) का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (3) उक्त धारा के खंड (105) का संशोधन करने के लिए है ।

उसकी मद (क) उपखंड (यययत) का संशोधन करने के लिए है जिससे माल के रेल द्वारा परिवहन पर सेवा कर के अधिरोपण को सम्मिलित किया जा सके ।

उसकी मद (ख) सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर का उपयोग करने के अधिकार के "प्रदाता" पद, और न कि " अर्जनकर्ता" पर सेवा कर का संदाय करने का दायित्व नियत करने के प्रयोजन के लिए उपखंड (ययययड) का संशोधन करने के लिए है और इसलिए "अर्जन करना" शब्दों के स्थान पर, "प्रदान करना" शब्द, 16 मई, 2008 से भूतलक्षी रूप से रखे जाने का प्रस्ताव है । यह वह तारीख है, जिसको उपखंड (ययययड) के अधीन सेवा को वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में सम्मिलित किया गया था ।

उसकी मद (ग) निम्नलिखित अंतःस्थापित करने के लिए है —

उपखंड (यययट) स्वाथ्योपयोगी विकारों, विकास संबंधी विसामान्यताओं, अपजनित रोगों या मानसिक आघात के कारण प्रभावित शरीर रचना या कृत्यों को बहाल करने या पुनः सन्निर्मित करने के लिए की गई शल्य चिकित्सा से भिन्न प्रसाधन शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक शल्य चिकित्सा के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित करने के लिए है ।

उपखंड (यययठ) तटीय माल और अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल के अंतरण के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित करने के लिए है ।

उपखंड (यययड) किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरणों के समक्ष उपसंजात होने के अलावा विधि की किसी शाखा में सलाह, परामर्श या सहायता देने के संबंध में किसी कारबार एकक द्वारा किसी कारबार एकक को दी गई सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित करने के लिए है और "कारबार एकक" को परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के संगम, व्यष्टि-निकाय, कंपनी या फर्म को सम्मिलित किया गया है किन्तु किसी व्यष्टि को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

खंड (आ) उपखंड (यययट), उपखंड (यययठ) और उपखंड (यययड) द्वारा अंतःस्थापित नई सेवाओं को उसकी परिधि के भीतर लाने के प्रयोजन के लिए धारा 66 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

खंड (इ) सेवा कर की अपील प्रक्रिया को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की अपील प्रक्रिया के अनुसार बनाने की दृष्टि से धारा 84 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है । अतः, धारा 84 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति को हटाने का प्रस्ताव है । उक्त धारा में संशोधन द्वारा केंद्रीय-उत्पाद शुल्क आयुक्त के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को विहित अवधि के भीतर निर्देशित किए जाने की प्रक्रिया का उपबंध करने का प्रस्ताव है, जहां ऐसे आदेशों का पुनर्विलोकन किए जाने के लिए आयुक्त द्वारा कोई ऐसा निर्देश किया जाता है । इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में व्यावृत्ति खंड सम्मिलित करने का प्रस्ताव है कि संशोधित उपबंध वित्त विधेयक के प्रारंभ से पूर्व आयुक्त के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को लागू नहीं होगा ।

खंड (ई) में "या धारा 84" शब्दों और अंकों का लोप करते हुए धारा 86 में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

खंड (उ) में उसकी उपधारा (2) में खंड (जजज) अंतःस्थापित करते हुए संदेय सेवा कर के अवधारण के लिए तारीख और स्थान की बाबत नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु धारा 94 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

खंड (ऊ) में आदेश करने से कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु धारा 95 का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

खंड (ए) 16 मई, 2008 से भूतलक्षी रूप से धारा 65 के खंड (105) के उपखंड (ययययड) की मद (v) और मद (vi) के उपबंधों के कारण की गई कतिपय कार्रवाइयों या बातों को विधिमान्य करने का प्रस्ताव करता है ।

खंड (ऐ) में 1 जनवरी, 2005 से भूतलक्षी रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 10(अ), तारीख 5 जनवरी, 2009 द्वारा माल परिवहन अधिकरण को विनिर्दिष्ट कराधेय सेवाएं प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति को दी गई छूट को विधिमान्य करने का प्रस्ताव है ।

खंड (ओ) में उसके खंड (घ) में, "प्राधिकरण" की परिभाषा का संशोधन करते हुए, धारा 96क का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

प्रकीर्ण

खंड 113—भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 13 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि आय-कर अधिनियम, 1961 या कर या आय, लाभ या हानि से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या हानि या प्राप्त किसी रकम की बाबत विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में प्रशासक द्वारा 31 मार्च, 2009 से परे आय-कर या कोई अन्य कर संदेय नहीं होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे छूट को 1 अप्रैल, 2009 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विस्तारित किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 114—वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में नई धारा 113क अंतःस्थापित करने के लिए है जो अध्याय 7 के उपबंधों के लागू न होने से संबंधित है ।

उक्त अध्याय में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में उस तारीख से, जिसको यह अध्याय केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्रवृत्त होता है, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों पर क्रेता द्वारा संदेय कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध है ।

उक्त अध्याय में नई धारा अंतर्विष्ट अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों" को लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 115—वित्त अधिनियम, 2008 में नई धारा 121क अंतःस्थापित करने के लिए है जो अध्याय 7 के उपबंधों का वस्तु संव्यवहार कर को लागू न होने से संबंधित है ।

विद्यमान अध्याय 7 वस्तु संव्यवहार कर से संबंधित उपबंधों के लिए उपबंध करता है । नई धारा 121क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् प्रभावी किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहार से संबंधित अध्याय 7 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा ।

खंड 116—वित्त अधिनियम, 2009 (2009 का 29) को निरसित करने के लिए है।